

जाचसूची

आवेदन-पत्र फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. प्रत्येक स्वामी/निदेशकों/भागीदार/समिति के पदाधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो।
2. ग्राहक का आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेजों (ओवीडी) के रूप में निम्नलिखित विधिमान्य स्व-साक्ष्यांकित दस्तावेज, जिसमें उनकी पहचान और पते का सबूत हो:

ग्राहक का प्रकार	आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेजों (ओवीडी)
कंपनी के मामले में स्वामी/भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में (जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो) विधिवत प्राधिकृत समिति के पदाधिकारी	<p>(i) पहचान का सबूत :</p> <ul style="list-style-type: none"> • पैनकार्ड • आधार कार्ड/यदि आधारकार्ड न हो तो ऐसे विशेष मामले में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज: • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • मतदाता पहचान-पत्र <p>(ii) निवास स्थान का सबूत : (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति)</p> <ul style="list-style-type: none"> • यूटिलिटी बिल (हाल का टेलीफोन/पोस्ट पेड मोबाइल/बिजली का बिल) • संपत्ति या नगर कर की रसीद • बैंक खाते या डाकघर बचत बैंक खाते का विवरण • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • मतदाता पहचान-पत्र • आधार कार्ड

3. निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियां :

- (i) एकमात्र स्वामित्व के मामले में

दस्तावेज	दस्तावेज का प्रकार (निम्नलिखित में से कोई दो)
स्वामित्व के पहचान का सबूत	<ul style="list-style-type: none"> • पैन कार्ड • आधार कार्ड/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया पत्र। यदि आधार कार्ड न हो तो ऐसे विशेष मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक

वित्तीय सेवा मैनुअल-01

- ✓ मतदाता पहचान-पत्र/निर्वाचन कार्ड
- ✓ विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस
- ✓ निम्नलिखित संस्थान संगठन/व्यावसायिक निकाय द्वारा जारी किया गया विधिमान्य फोटो पहचान-पत्र (बशर्ते कि उस पर फोटो लगी हो)
- ✓ केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग/अर्धसरकारी विभाग, सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों, सरकारी क्षेत्रक उपक्रम (जो केंद्र/राज्य सरकार के अधीन स्थापित हों), रक्षा कार्मिकों और उनके आश्रितों के मामले में रक्षा मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी किया गया विधिमान्य फोटो पहचान-पत्र।
- ✓ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गयावरिष्ठ नागरिक कार्ड, आईसीएआई, आईसीडब्लूआई, आईसीएसआई, बार परिषद द्वारा जारी किया गया सदस्य पहचानपत्र
- ✓ आर्म्स लाइसेंस (केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी)
- ✓ जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक कार्ड
- ✓ राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार कार्ड (जिसके पते का सत्यापन किया गया हो)। राशन कार्ड (बशर्ते कि उस पर फोटो लगी हो)
- ✓ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सामाजिक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड
- ✓ विद्यमान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई बैंक पास बुक। उस पर आवेदक के हस्ताक्षर और फोटो हो। फोटो इस प्रकार लगा हो कि उस पर पास बुक जारीकर्ता बैंक की मुहर लगी हो। पास बुक के उस पहले पृष्ठ को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए, जिस पर नाम, पता और अन्य विवरणों का उल्लेख किया गया हो। लेन-देन संबंधी अन्य पृष्ठों को यदि जारीकर्ता बैंक द्वारा साक्ष्यांकित न किया गया हो, तो उन्हें ग्राहक द्वारा स्व-साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए और मूल/बैंक

वित्तीय सेवा मैनुअल-01

	<p>कार्मिक द्वारा उन्हें आधिकारिक विधिमान्य दस्तावेज (ओवीडी) किया जाएगा।</p> <p>✓ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया गया फोटो क्रेडिट/डेबिट कार्ड/विधिमान्य कार्ड, जिन पर कार्डधारक का फोटो और हस्ताक्षर हो। इसके साथ लेखा विवरण की प्रति हो जो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो।</p>
<p>पते का सबूत</p>	<p>निम्नलिखित में से कोई दो:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • पानी/बिजली/लैंडलाइन टेलीफोन जैसी यूटिलिटी का हाल का बिल, जो फर्म के नाम में हो। वह बिल जारी किए जाने की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नेट से डाउनलोड की गई प्रति नहीं होनी चाहिए। • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र • मतदाता पहचान पत्र/मतदान कार्ड • विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस • निम्नलिखित संस्थान/संगठन/व्यावसायिक निकायों द्वारा जारी किए गए विधिमान्य फोटो पहचानपत्र (बशर्ते कि उन पर फोटो लगी हो) • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालय और विभाग/अर्ध सरकारी विभाग/सांविधिक विनियामक प्राधिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित), रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय/विभाग • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया सदस्य पहचान पत्र। • आर्म्स लाइसेंस (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी) • जिली सैनिक बोर्डों द्वारा जारी भूतपूर्व रक्षा सैनिक कार्ड • राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार कार्ड



वित्तीय सेवा मैनुअल-01

	<p>(पते के वास्तविक सत्यापन सहित)/राशन कार्ड (बशर्ते कि उस पर फोटो लगी हो)</p> <ul style="list-style-type: none"> केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी फोटो सामाजिक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड (फोटो सोशिएल सेक्युरिटी स्मार्ट कार्ड)
आयकर विवरणी	<ul style="list-style-type: none"> पिछले तीन वर्ष/या फार्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम हों)

ii) भागीदारी फर्म/एलएलपी के मामले में

फर्म का नाम	<ul style="list-style-type: none"> भागीदारी विलेख पंजीकरण प्रमाण-पत्र, यदि पंजीकृत हो। फर्म का पैनकार्ड
पते का सबूत	<ul style="list-style-type: none"> एमटीएनएल का टेलीफोन बिल/राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण/बिजली का बिल/पंजीकृत किराया करार
सभी भागीदारों के नाम और उनके केवाईसी	भागीदारों के नाम और केवाईसी के विवरण (कृपया क्र.सं. 2 में उल्लिखित दस्तावेज देखें)
कारोबार के ब्यौरे	कारोबार का स्वरूप कारोबार की रूपरेखा संबंधी विवरण और भावी संभावनाएं
कारोबार की सततता संबंधी सबूत	हाल के पिछले तीन वर्ष का
आयकर विवरणियां	पिछले तीन वर्ष / या फर्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम हो)

(iii) पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड फर्म के मामले में

कंपनी का नाम	एमओए और एओए (जिसमें निगमन का प्रमाण-पत्र भी शामिल है) (मूल/प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) पैनकार्ड
कंपनी का प्रकार	प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड
पते का सबूत	एमटीएनएल का टेलीफोन बिल/राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण/बिजली का बिल/पंजीकृत किराया करार।
सभी निदेशकों के केवाईसी और उनकी निदेशकपहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशकों के नाम और अलग-अलग निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) तथा केवाईसी के विवरण (कृपया क्र.सं. 2 पर उल्लिखित दस्तावेज देखें)



वित्तीय सेवा मैनुअल-01

कारोबार के ब्यौरे	<ul style="list-style-type: none">• कारोबार का स्वरूप• कारोबार की रूप रेखा का विवरण और भावी संभावनाएं
आयकर विवरणियां	पिछले तीन वर्ष/ या फर्म के गठन की तारीख से (इनमें से जो भी कम हो)

4. निम्नलिखित की स्व-साक्ष्यांकित प्रतिलिपि :
 - I. उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र/(यूएम)
 - II. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र
5. वैयक्तिक परिसंपत्तियों और देयताओं का स्व-साक्ष्यांकित विवरण तथा स्वामी/निदेशकों/भागीदारों/समिति के पदाधिकारियों के निवास-स्थान के पते।
6. प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के संकल्प की एक प्रति, भागीदारी फर्म के मामले में मुख्तारनामा और यदि समिति के हस्ताक्षरकर्ता को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो और आवेदक यूनिट के लिए और की ओर से वित्तीय सहायता के संबंध में एनएसआईसी के साथ लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत किया है, तो अधिशासी निकाय के संकल्प की प्रति।
7. बैंक द्वारा साक्ष्यांकित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नमूना हस्ताक्षर।
8. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा स्वीकृत उधार की सीमा के स्वीकृत-पत्र की प्रति।
9. यूनिट के लेखापरीक्षित/अनंतिम वित्तीय विवरण।
 - I. पिछले वर्ष का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
 - II. चालू वर्ष के अनंतिम वित्तीय विवरण
 - III. स्टार्टअप एमएसएमई यूनिट के मामले में चालू वित्त वर्ष का अनुमानित वित्तीय विवरण, जिसे उसके लेखापरीक्षकों या सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंटों) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।
10. यूनिट के पिछले छः माह का बैंक विवरण।
11. नवीनतम बिजली के बिल की प्रति।
12. बैंकों और वित्तीय संस्थानों (बीजी जारी करने वाले बैंक के अलावा) के साथ यूनिटकेआचरण-व्यवहार के लेखों की रिपोर्ट।
13. यूनिट द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र/वचन-पत्र कि उसका (उनके) नाम, कंपनी का नाम/ इसके स्वामी/सहयोगी/सहायक प्रतिष्ठान/सदस्यों/निदेशकों के नाम किसी भी रूप में सीआईबीआईएल/भारतीय रिजर्व बैंक के चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं हैं या उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं है।
14. यदि पांच करोड़ की सीमा से अधिक सीमा बढ़ाई गई हो तो प्राप्त आदेश की प्रति।

जाचंसूची

मामलों के नवीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेज

1. सीमा के नवीकरण के लिए यूनिट का अनुरोध पत्र और इस आशय की घोषणा कि यूनिट के संविधान, प्रमोटर्स और पते में कोई परिवर्तन नहीं है।
2. यदि यूनिट के संविधान, प्रमोटर्स और पते में कोई परिवर्तन हो तो समर्थनकारी दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।
3. नवीनतम और विधिमान्य बैंक स्वीकृति-पत्र की प्रतिलिपि।
4. यदि आयकर विवरण भरने की नियत तारीख के बाद नवीकरण अपेक्षित हो तो पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे। यदि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, तो उपलब्ध अद्यतन लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित मूल्यनिरूपण फार्म की क्रम संख्या 19 पर उल्लिखित पिछले वित्त वर्ष के वित्तीय मापदंडों के संबंध में स्व-साक्ष्यांकित घोषणा।
5. चालू वित्त वर्ष के प्रस्तावित/अनुमानित वार्षिक लेखे या मूल्यनिरूपण टिप्पणी की क्रम संख्या 19 में उल्लिखित स्व-साक्ष्यांकित मापदंड।

.....